न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-420RAAJodhpur2023-207RTA223 Bhomsingh Vs Smt. Bhanwaridevi etc

भोमसिंह पुत्र डूंगरसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिहडा, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी मूलचन्द, जाति सुथार, निवासी–ग्राम सिहडा, तहसील बाप, जिला फलोदी।
02. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक, शाखा फलोदी, जिला फलोदी।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलोदी राज.।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 भंवरी देवी बनाम भोमसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 अनवान भंवरीदेवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम नारायण हरि, तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 261/1 रकबा 7.3005 हैक्टेयर के संबंध धारा 53, 92–ए एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर मामला प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व अन्य प्रत्यार्थीगण की सुनवाई किये बिना ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। वादी द्वारा अपना वाद साबित ही नही किया गया है। तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा वाद में विवाद बिन्दु कायम किये गये है एवं उन पर पक्षकारान् से साक्ष्य नहीं ली गई है। कानूनन विवादित बिन्दु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नही किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण वह अपना पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका। हस्तगत मामले में अपीलार्थी व वादी के मध्य बंटवाडा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद हैं। इसलिए हिस्सों के विवाद का निराकरण किये बिना विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय में दिनांक 14.02.2023 को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दे दी गई थी तथा वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.03.2023, 03.05.2023, 06.07.2023 एवं 31.08.2023 को कोई कार्यवाही नहीं हुई। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पालना में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 44/2022 अनवान भंवरीदेवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा मामला अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलांट सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आठ माह की अवधि में उपस्थित ही नहीं हुआ, तब विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुए पुनः अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आराजी ग्राम नारायण हरि, तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 262/1 रकबा 7.3005 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार वादीनी के 125/451 वॉ हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक/अपीलांट के 326/451 वा हिस्सा, यानि उभय पक्ष के हक–हिस्सेनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना हेतु विचारण न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलांट का कर्तव्य था कि वह प्रतिप्रेषित प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे तथा चाराजोही करे, किंतु अपीलांट द्वारा ऐसा नही किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 अनवान भंवरीदेवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-420RAAJodhpur2023-207RTA223 Bhomsingh Vs Smt. Bhanwaridevi etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
भोमसिंह पुत्र डूंगरसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिहडा, तहसील बाप, जिला फलोदी।	ब ना म	01. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी मूलचन्द, जाति सुथार, निवासी–ग्राम सिहडा, तहसील बाप, जिला फलोदी। 02. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक, शाखा फलोदी, जिला फलोदी। 03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलोदी रा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 भंवरी देवी बनाम भोमसिंह इत्यादि

यह अपील बतारीख 01 अप्रैल 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 अनवान भंवरीदेवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 01 अप्रैल 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर